

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का उनके नाम के आगे अंकितानुसार लोक सेवा आयोग / विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेशों के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की सहमति / अनुमति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना—पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्यमुक्त करें।

क्रसं	कार्मिक का नाम	पदस्थापन स्थान राजमावि / राजाउमावि	विषय	जन्मतिथि	विवरण
01	बलराम	मालेर—श्रीगंगानगर	इतिहास	10.10.1992	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के आदेश कं० एफ१(23-06) आरपीएससी / APPT/HRD/2017/08 दिनांक 15.11.2018

उक्त कार्मिक अगर परिवीक्षाधीन अवधि में है तो इनका विभाग में नियमानुसार लियन नहीं रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्हित / प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। उक्त में से जो कार्मिक निर्वाचन सम्बन्धित कार्यों में दायित्ववद्ध हैं, वे सम्बन्धित निर्वाचन विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करें।

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक—22/11/18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-२/इति—वाणि/एनओसी/2018
प्रतिलिपि:—प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. संबंधित शाला / संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
5. सम्बन्धित कार्मिक / निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर